राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांकः– F 7(2) AWW-AWH/Ref./Training/ICDS/16/ 98957 जयपुर दिनांक 27.7.16

कार्यालय आदेश

आंगनवाडी सहायिकाओ के पुनश्चर्या प्रशिक्षण हेतु नामांकन आदेश जारी कर निर्देश दिये जाते है कि वे नामांकित संख्या में संबंधित आंगनवाडी प्रशिक्षण केन्द्र पर **दिनांक 08.08.2016 से 13.08.2016 तक पुनश्चर्या प्रशिक्षण** हेतु **आंगनवाडी सहायिकाओं** को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें :–

1. गर्भवती एवं 6 माह के बच्चे की माता को प्रशिक्षण में नामांकित नही किया जावे।
2. प्रशिक्षणार्थी सहायिकाओं के साथ 6 माह से 3 वर्ष तक का बच्चा साथ होगा तो प्रति बच्चा प्रतिदिन रू. 20/– आवास भोजन हेतु संस्था में जमा कराने होंगे। यदि साथ में महिला अटेन्डेन्ट हो तो रू. 150/– प्रति व्यक्ति के हिसाब से संस्था में जमा कराने होंगे। पुरूष अटेन्डेन्ट संस्था में नहीं रह सकेगें।
3. उन्हीं आंगनवाडी सहायिकाओं को पुनश्चर्या प्रशिक्षण में भेजें जिन्हें कार्य प्रशिक्षण प्राप्त किये दो वर्ष से अधिक समय हो गया हो या जिसे पूर्व पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त किये दो वर्ष हो चुके हों। सहायिकाओं के कार्य प्रशिक्षण में ऐसी आंगनबाड़ी सहायिकाओं को प्रशिक्षण में भेजे जिन्होंने पूर्व में कार्य प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो।
4. आंगनवाडी सहायिका को यात्रा भत्ता (टीए) का भुगतान आंगनवाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र पर ही किया जावेगा।
5. आंगनवाडी सहायिकाओं के आवास एवं भोजन की व्यवस्था आंगनवाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र पर ही उपलब्ध होगी।
6. सबंधित सीडीपीओ को निर्देश दिये जाते है कि वे प्रशिक्षण के बाद आंगनबाड़ी केन्द्रो का निरीक्षण कर उनके कार्य से उनके प्रशिक्षण की तुलना कर समीक्षा करें।

क्र. सं.	आंगनवाडी प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	दिनांक	जिला का नाम	AWW/ AWH	नामांकन संख्या
1.	राजस्थान विद्यापीठ कुल, हटूण्डी (अजमेर) (तृतीय यूनिट)	08.08.16 से 13.08.16	अजमेर	AWH	50

27.7.16

उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः– F 7(2) AWW-AWH/Ref./Training/ICDS/16/ 98958-962 जयपुर दिनांक 27.7.16

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्राचार्य, आंगनवाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र,..
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् ....
3. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग..
4. लेखा प्रशाखा, मुख्यालय, जयपुर
5. (एसीपी) उप निदेशक, को भेजकर लेख है कि कम्प्यूटर पर अपलोड कर विभाग की वैबसाईट पर इसे डालने का श्रम करें।

27.7.16

उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।